

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 - राजनीति में महिलाएँ

प्रलिस के लयि:

संवधान (128वाँ संशोधन) वधियक, 2023, संवधान (106वाँ संशोधन) अधनियम, 2023, [लोकसभा](#), [राज्यसभा](#), [राज्य वधियन सभाएँ](#), [परसीमन की परकरयि](#), महिलाओं के वरिद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उनमूलन पर कन्वेंशन, 1979, संवधान (104वाँ संशोधन) अधनियम, 2019, [सरवोच्च न्यायालय](#), [ट्रपिल टेस्ट](#), [वशिव आर्थिक मंच \(WEF\)](#), [ग्लोबल जेंडर गैप रपिरट 2023](#) ।

मेन्स के लयि:

[महिला आरक्षण अधनियम, 2023](#) का [लोकतंत्र](#) में समावेशता को बढ़ावा देने और इसे अधिक सहभागी बनाने तथा लंबे समय में [जेंडर गैप](#) को करने पर प्रभाव ।

महिला आरक्षण अधनियम, 2023 क्या है?

परचिय:

- [संवधान \(106वाँ संशोधन\) अधनियम, 2023](#), वधियक [लोकसभा](#), [राज्य वधियनसभाओं](#) और दलिली वधियनसभा में महिलाओं के लयि एक-तहार्ई सीटें आरकषति करता है । यह लोकसभा और राज्य वधियनसभाओं में [अनुसूचति जाति](#) तथा [अनुसूचति जनजाति](#) के लयि आरकषति सीटों पर भी लागू होगा ।
- इस वधियक के लागू होने के बाद [आयोजति जनगणना के प्रकाशन के बाद यह आरक्षण प्रभावी होगा](#) । [जनगणना के आधार पर महिलाओं के लयि सीटें](#) आरकषति करने हेतु परसीमन कयिा जाएगा । [आरक्षण 15 वर्ष की अवधकि](#) के लयि प्रदान कयिा जाएगा ।
- प्रतयेक [परसीमन परकरयि](#) के बाद महिलाओं के लयि आवंटति सीटों का चकरण संसदीय कानून द्वारा नरियंत्रति कयिा जाएगा ।
 - वर्तमान में 17वीं लोकसभा (2019-2024) के कुल सदस्यों में से लगभग 15% महिलाएँ हैं, जबकि राज्य वधियनसभाओं में कुल सदस्यों में औसतन 9% महिलाएँ हैं ।

महिला आरक्षण वधियकों की वधियी प्रगत:

- महिलाओं के खलियाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उनमूलन पर कन्वेंशन, 1979 राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में [लगा-आधारति](#) भेदभाव को समाप्त करने का आदेश देता है, जसिमें भारत भी एक हस्ताकषरकर्त्ता है ।
 - प्रगतके बावजूद, नरिणय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं का प्रतनिधित्व अपेक्षाकृत कम है, [पहली लोकसभा में 5% से बढ़कर 17वीं लोकसभा में 15% हो गया है](#) ।
- संसद और राज्य वधियनसभाओं में महिलाओं के लयि सीटें आरकषति करने के उद्देश्य से संवधानिक संशोधन 1996, 1998, 1999 व 2008 में प्रस्तावति कयि गए थे ।
 - [पहले तीन वधियक \(1996, 1998, 1999\)](#) तब समाप्त हो गए जब उनकी [संबंधति लोकसभाएँ भंग हो गईं](#) ।
 - [वर्ष 2008 का वधियक राज्यसभा में पेश कयिा गया और उसे मंजूरी दे दी गई, लेकिन 15वीं लोकसभा भंग होने पर यह भी समाप्त हो गया](#) ।
 - हालीक वरतमान मामले में इसके लयि [सरवोच्च न्यायालय](#) द्वारा नरिधारति ["ट्रपिल टेस्ट"](#) का पालन करना आवश्यक होगा ।

तालकि 3: 2008 के वधियक और 2023 में वधियक पेश करने के बीच मुख्य परविरतन:

	2008 में राज्य सभा द्वारा पारति वधियक प्रस्तुत कयिा गया	2003 में वधियक प्रस्तुत कयिा गया
लोकसभा में आरक्षण	प्रतयेक राज्य/केंद्रशासति प्रदेश में एक तहार्ई लोकसभा सीटें महिलाओं के लयि आरकषति की जाएंगी ।	एक तहार्ई सीटें महिलाओं के लयि आरकषति होंगी ।
सीटों का रोटेशन	संसद/वधियन सभा के लयि प्रतयेक आम चुनाव के बाद प्रतयेक परसीमन अभ्यास के बाद आरकषति सीटें आरकषति सीट का चकरानुक्रम कयिा जाएगा ।	का रोटेशन होगा ।

- 1996 के वधियक की [संसद की संयुक्त समति](#) द्वारा जाँच की गई, जबकि [वर्ष 2008 के वधियक की कारमकि](#), लोक शकियात, कानून और

न्याय पर स्थायी समितिद्वारा जाँच की गई।

- दोनों समितियों ने महिलाओं के लिये सीट आरक्षण के विचार का समर्थन किया। उनकी कुछ सिफारिशों में शामिल हैं:
 - उचित समय पर **अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC)** की महिलाओं के लिये आरक्षण पर विचार।
 - बाद की समीक्षाओं के साथ **15 वर्ष की अवधि** के लिये आरक्षण लागू करना।
 - **राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में महिलाओं के लिये सीटें आरक्षण** करने की योजनाएँ तैयार करना।

ट्रिपल टेस्ट का मुद्दा:

- सरकारी सूत्रों ने कहा कि **महिलाओं के लिये आरक्षण हेतु "ट्रिपल टेस्ट" पास करने की आवश्यकता** होगी।
- वर्ष 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्थानीय निकायों के संबंध में पछिड़ापन "राजनीतिक" होना चाहिये जैसे कि राजनीति में कम प्रतिनिधित्व मिला। यह "सामाजिक और शैक्षणिक पछिड़ेपन" से भिन्न हो सकता है, जिसका उपयोग शैक्षणिक संस्थानों या सरकारी नौकरियों में सीटों के लिये आरक्षण देने हेतु किया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 में एक फैसले में महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण की वैधता पर नरिणय लेते हुए, तीन गुना परीक्षण निर्धारित किया था जिसका राज्य सरकारों को ये आरक्षण प्रदान करने के लिये पालन करना होगा।
 - सबसे पहले, राज्य को राज्य के भीतर स्थानीय निकायों में पछिड़ेपन की जाँच के लिये एक समर्पित आयोग स्थापित करने का आदेश दिया गया था।
 - दूसरा, राज्यों को आयोग के सर्वेक्षण डेटा के आधार पर कोटा का आकार निर्धारित करना आवश्यक था।
 - तीसरा यह आरक्षण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटा के साथ मिलाकर, स्थानीय निकाय में कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हो सकता है।
- वर्ष 2022 और 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के लिये स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण से पहले ट्रिपल टेस्ट लागू करना अनिवार्य बना दिया।
 - हालाँकि ऐसा "ट्रिपल टेस्ट" SC/ST के लिये राजनीतिक आरक्षण पर लागू नहीं होता है, क्योंकि चुनाव में आरक्षण अनुच्छेद 334 के तहत लागू होता है।
 - SC/ST के प्रतिनिधित्व के लिये "ट्रिपल टेस्ट" "केवल सरकारी रोजगार में पदोन्नति हेतु कोटा के मामले में लागू होता है।"



महिला आरक्षण अधिनियम, 2023

[संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023]

उद्देश्य

- लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटों का आरक्षण

पृष्ठभूमि

- विधेयक को को पूर्व में वर्ष 1996, 1998, 2009, 2010, 2014 में प्रस्तुत किया गया
- संबंधित समितियाँ:
 - भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति (1971)
 - मागरेट अल्वा की अध्यक्षता वाली समिति (1987)
 - गीता मुखर्जी समिति (1996)
 - महिलाओं की स्थिति पर समिति (2013)

प्रमुख विशेषताएँ

जोड़े गए अनुच्छेद:

- अनुच्छेद 330A- लोकसभा में महिलाओं के लिये आरक्षण
- अनुच्छेद 332A- राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण
- अनुच्छेद 239AA- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिये आरक्षण
- अनुच्छेद 334A- आरक्षण, परिसीमन और जनगणना होने के बाद प्रभावी होगा

समयावधि:

- आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया जाएगा (बढ़ाया जा सकता है)।

आरक्षित सीटों का रोटेशन:

- हर परिसीमन के बाद

आवश्यकता

- कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व:
 - लोकसभा में केवल 82 महिला सांसद (15.2%) और राज्यसभा में 31 (13%)
 - औसतन, राज्य विधानसभाओं में कुल सदस्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 9% है



तर्क

पक्ष में:

- लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
- निर्णयन प्रक्रिया के लिये व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होगा
- राजनीतिक/सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने में सहायक

विरुद्ध:

- वर्ष 2021 की जनगणना (जो अभी तक पूरी नहीं हुई है) के आधार पर परिसीमन अनिवार्य है
- राज्यसभा और राज्य विधानपरिषदों में महिला आरक्षण नहीं

आगे की राह

- राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिये आरक्षण
- महिलाओं द्वारा स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय लेना; सरपंच-पतिवाद पर काबू पाना

इस मुद्दे पर वभिन्न समितियाँ और उनकी रिपोर्ट क्या हैं?

■ 1971 भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति (CSWI):

- इसे अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 से पहले महिलाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट के लिये संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध के जवाब में बनाया गया था।
- पूर्ववर्ती शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित।
- इसने उन संवैधानिक, प्रशासनिक और कानूनी प्रावधानों की जाँच की जिनका महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा एवं रोजगार पर प्रभाव पड़ता है तथा इन प्रावधानों का प्रभाव भी पड़ता है।
- इसने रिपोर्ट प्रकाशित की - 'समानता की ओर' जिसके अनुसार, भारतीय राज्य लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारी नभाने में विफल रहा है।
 - इसके बाद कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये आरक्षण की घोषणा शुरू कर दी।

■ 1987 मार्गरेट अल्वा के अधीन समिति

- वर्ष 1987 में सरकार ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया।
- वर्ष 1988 में समिति ने प्रधानमंत्री को महिलाओं के लिये **राष्ट्रीय परंपरेक्ष्य योजना 1988-2000** प्रस्तुत की।
 - समिति की **353 सफ़ारिशों में नरिवाचति निकायों** में महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण भी शामिल था।
- परणाम:
 - वर्ष 1992 में **73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम** पी. वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में पेश किये गए थे।
 - यह महिलाओं के लिये **राष्ट्रीय परंपरेक्ष्य योजना का कार्य था इसने क्रमशः पंचायती राज संस्थानों (Panchayati Raj Institutions- PRI)** और इसके सभी स्तरों पर अध्यक्ष के कार्यालयों एवं शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु (73वें व 74वें संशोधन के माध्यम से) 1/3 सीटें आरक्षणित करना अनिवार्य कर दिया।
 - **महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल जैसे कई राज्यों** ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये 50% आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कानूनी प्रावधान किये हैं।

पहला महिला आरक्षण विधेयक:

- 12 सितंबर, 1996 को भारत सरकार ने **81वाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक** पेश किया, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 1/3 सीटें आरक्षणित करने की मांग की गई।
 - हालाँकि कई **सांसदों, विशेषकर OBC से संबंधित लोगों ने विधेयक का विरोध** किया।
 - नतीजतन विधेयक को **गीता मुखर्जी** की अध्यक्षता वाली संसद की प्रवर समिति को भेजा गया।
- **गीता मुखर्जी समिति 1996:**
 - समिति में 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से थे।
 - पैनल ने कहा कि महिलाओं के लिये सीटें SC/ST कोटा के भीतर आरक्षणित की गई थीं, लेकिन **OBC महिलाओं हेतु ऐसा कोई लाभ नहीं** था क्योंकि OBC आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
 - इसने सफ़ारिश की कि सरकार उचित समय पर OBC के लिये भी आरक्षण बढ़ाने पर विचार करे ताकि OBC की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिल सके।
- **महिलाओं की स्थिति पर 2013 समिति:**
 - **2013 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की स्थिति पर एक समिति** का गठन किया, जिसमें स्थानीय निकायों, राज्य विधान सभाओं, संसद, मंत्रिस्तरीय स्तरों और सरकार के सभी नरिणय लेने वाले निकायों में महिलाओं के लिये सीटों का कम-से-कम 50% आरक्षण सुनिश्चित करने की सफ़ारिश की गई।
- **महिला प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति:**
 - **वैश्व आर्थिक मंच (WEF)** की **वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट 2023** के अनुसार, भारत ने राजनीतिक सशक्तिकरण में प्रगति की है, इस क्षेत्र में **25.3% समानता हासिल** की है।
 - महिलाएँ **15.1% सांसदों का प्रतिनिधित्व** करती हैं, जो वर्ष 2006 में उद्घाटन रिपोर्ट के बाद से सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है।

पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण की स्थिति क्या है?

■ महिला आरक्षण - पहल और वर्तमान डेटा

- **प्रारंभिक पहल:**
 - वर्ष 1985 में **कर्नाटक राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये उप-कोटा** के साथ मंडल प्रजा परिषदों में महिलाओं हेतु 25% आरक्षण लागू किया, ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बन गया।
 - वर्ष 1987 में तत्कालीन **संयुक्त आंध्र प्रदेश ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिये 9% आरक्षण लागू किया।**

- वर्ष 1991 में ओडिशा ने पंचायतों में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण लागू किया।
 - वर्ष 1992 के संवैधानिक संशोधन ने इस आरक्षण को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और अनुसूचित जाति एवं जनजात की महिलाओं के लिये 33% उप-कोटा निर्धारित किया।
- 73वाँ और 74वाँ संशोधन:
 - वर्ष 1992 में महिलाओं के लिये राष्ट्रीय परंपरिक योजना 1988-2000 की सफाई के बाद, 73वें व 74वें संशोधन अधिनियम (1992) ने पंचायती राज संस्थानों (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु 1/3 सीटें आरक्षण कराना अनिवार्य कर दिया।
 - 'पंचायत', 'स्थानीय सरकार' होने के नाते एक राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है।
 - संविधान का अनुच्छेद 243D प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पूर्ण की जाने वाली सीटों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों की संख्या में से महिलाओं के लिये कम-से-कम 1/3 आरक्षण अनिवार्य करके PRI में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

वभिन्न राज्यों में स्थिति:

- >50% आरक्षण वाले राज्य:
 - सरकारी आँकड़ों के अनुसार, सितंबर 2021 तक कम-से-कम 18 राज्यों में PRI में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रतिशत 50% से अधिक था:
 - ये राज्य हैं- उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मणिपुर, तेलंगाना, सिककिम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश।
 - गुजरात और केरल सहित इन 18 राज्यों ने PRI में महिलाओं के लिये 50% आरक्षण हेतु कानूनी प्रावधान भी किये हैं।
 - PRI में महिला प्रतिनिधियों का उच्चतम अनुपात - उत्तराखंड (56.02%)
 - न्यूनतम - उत्तर प्रदेश (33.34%)
 - भारत में कुल प्रतिशत - 45.61%
 - वर्ष 2006 में बिहार 50% (पंचायतों और ULB में) आरक्षण बढ़ाने वाला पहला राज्य था, उसके बाद अगले वर्ष सिककिम ने आरक्षण बढ़ाया।
- नगालैंड विवाद:
 - अप्रैल 2023 में नगालैंड शहरी स्थानीय निकाय (ULB) चुनावों में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण को लेकर विवादों में था।
 - यह मुद्दा वर्ष 2001 के नगालैंड नगरपालिका अधिनियम के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिसमें ULB चुनावों (74वें संशोधन के अनुसार) में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण अनिवार्य है।
 - कई पारंपरिक आदिवासी और शहरी संगठनों ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह अनुच्छेद 371A द्वारा प्रदत्त विशेष प्रावधानों का उल्लंघन होगा।
 - उनके शीर्ष आदिवासी निकाय का तर्क है कि महिलाएँ पारंपरिक रूप से नरिण्य लेने वाली संस्थाओं का हिस्सा नहीं रही हैं।
 - नगालैंड एकमात्र राज्य है जहाँ ULB सीटें महिलाओं के लिये आरक्षण नहीं हैं।

वभिन्न राज्यों में सेवाओं में महिला आरक्षण की स्थिति क्या है?

- महिला आरक्षण और क्वैतजि आरक्षण:
 - भारत का संविधान स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रोजगार में महिलाओं के लिये आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। इसके विपरीत अनुच्छेद 16(2) लिंग के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है।
 - इसलिये प्रसिद्ध इंदरा साहनी मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के आधार पर, महिलाओं को केवल क्वैतजि आरक्षण प्रदान किया जा सकता है, ऊर्ध्वाधर नहीं।
 - क्वैतजि आरक्षण का तात्पर्य ऊर्ध्वाधर श्रेणियों से हटकर लाभार्थियों की श्रेणियों जैसे महिलाओं, दगिजों, ट्रांसजेंडर समुदाय और वकिलांग व्यक्तियों को प्रदान किये गए समान अवसर से है।
 - क्वैतजि कोटा (Quota) को ऊर्ध्वाधर श्रेणी से अलग लागू किया जाता है।
 - उदाहरण के लिये यदि महिलाओं के पास 50% क्वैतजि कोटा है तो चयनित उम्मीदवारों (Candidates) में से आधे को ऊर्ध्वाधर कोटा श्रेणी जैसे- अनुसूचित जाति, अनारक्षण वर्ग इत्यादीकी महिला होना चाहिये।
- वभिन्न राज्यों में महिलाओं की नौकरी कोटा का परिदृश्य:
 - उत्तराखंड:
 - वर्ष 2006 में उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य में महिला उम्मीदवारों के लिये 30% क्वैतजि आरक्षण सुनिश्चित किया। यह आरक्षण विशेष रूप से राज्य-निवासित महिलाओं हेतु सार्वजनिक रोजगार के लिये था।
 - अगस्त 2022 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी। हालाँकि नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अपने 16 वर्ष पुराने फैसले को जारी रखने की अनुमति दी और उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने भारत में कहीं से भी महिलाओं के लिये कोटा प्रारंभ किया था। जनवरी 2023 में सरकार फिर से आरक्षण के प्रावधानों को जारी रखने के लिये अध्यादेश लेकर आई।

◦ कर्नाटक:

- वर्ष 2022 में कर्नाटक सरकार ने सभी वभागों में आउटसोर्स महिला कर्मचारियों के लिये 33% आरक्षण किये।
- सरकुलर के मुताबिक, राज्य सरकार डेटा एंट्री ऑपरेटर, हाउसकीपिंग स्टाफ और अन्य गुरुप डी कर्मचारियों, ड्राइवर्स की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से करती है।
- 33% आरक्षण सभी स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य सरकारी कार्यालयों के लिये लागू है।

◦ त्रिपुरा:

- वर्ष 2022 में महिला दविस के अवसर पर, त्रिपुरा सरकार ने किसी भी राज्य सरकार की नौकरी यउच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिये सभी महिलाओं को 33% आरक्षण देने के अपने नरिणय की घोषणा की है।

◦ पंजाब:

- वर्ष 2020 में पंजाब राज्य सरकार ने पंजाब सविलि सेवा, बोर्ड और नगिमें के लिये सीधी भर्ती में महिलाओं हेतु 33% आरक्षण को मंजूरी दी।
- 'पंजाब सविलि सेवा (महिलाओं के लिये पदों का आरक्षण) नयिम, 2020' ने सरकार में पदों पर सीधी भर्ती के साथ-साथ समूह A, B, C, व D पदों पर बोर्डों और नगिमें में भर्ती हेतु महिलाओं के लिये ऐसा आरक्षण प्रदान किया।

◦ पंजाब:

- वर्ष 2016 में राज्य कैबिनेट ने सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया।
- इससे पहले, राज्य सरकार ने राज्य में पुलसि कांस्टेबल की भर्ती में महिलाओं के लिये 35% आरक्षण का प्रावधान भी किया था।

अन्य क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व:

शासन:

- 1947 में आज़ादी के बाद से भारत में एक महिला प्रधान मंत्री और दो महिला राष्ट्रपति रही हैं।
- देश में अब तक पंद्रह महिलाएँ मुख्यमंत्री रह चुकी हैं।

न्यायतंत्र:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अब तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है।
- अगस्त 2023 तक, शीर्ष अदालत में 34 की स्वीकृत संख्या में तीन महिला न्यायाधीश थीं, 25 उच्च न्यायालयों में 788 में से 106 महिला न्यायाधीश और नचिली अदालतों में 7,199 महिला न्यायाधीश थीं।
- जस्टिस बी. वी. नागरत्ना वर्ष 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं।

रक्षा और पुलसि:

- मार्च 2023 तक भारतीय सेना में 6,993 महिला अधिकारी थीं, नौसेना में 748। चकित्सा कर्मचारियों को छोड़कर, भारतीय वायु सेना में महिला अधिकारियों की संख्या 1,636 थी।
- देश में 2.1 मिलियन मज़बूत पुलसि बल में महिलाएँ केवल 11.7% हैं।

वमिानन:

- विश्व में पुरुषों के मुकाबले महिला पायलटों का अनुपात भारत में सबसे अधिक है, दक्षिण एशियाई देश में कुल लगभग 10,000 पायलटों में से 15% महिला पायलट हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 5% है।

कृषि:

- 62.9% महिला भागीदारी के साथ वर्ष 2022 में कृषि में महिला श्रमिकों का प्रतिशत सबसे अधिक है, इसके बाद वनरिमाण क्षेत्र में 11.2% महिलाएँ हैं।
- लाखों भारतीय महिलाएँ घरेलू और दहिाड़ी मज़दूर जैसे असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

कॉरपोरेट:

- वर्ष 2023 में नफिटी 500 कंपनियों में 18.2% बोर्ड सीटों पर महिलाओं की हिस्सेदारी थी, जीवन वजिज्ञान क्षेत्र में बोर्ड पर सबसे अधिक महिला प्रतिनिधित्व 24% था।
- टेक उद्योग में कार्यबल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 34% है, लेकिन जब कार्यकारी पदों पर महिलाओं की बात आती है तो यह अन्य उद्योगों से पीछे है। 8.9% कंपनियों में शीर्ष प्रबंधकीय पदों पर महिलाएँ हैं।

परसीमन से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

परसीमन के बाद लागू होगा:

- परसीमन होने के बाद ही आरक्षण लागू होगा और अगली जनगणना के प्रासंगिक आँकड़े प्रकाशित होने के बाद ही परसीमन किया जाएगा।
- 2021 की जनगणना जैसे कोविड महामारी और कई अन्य कारणों से स्थगित कर दिया गया था, उसे अगले आदेश तक वर्ष 2024-25 तक बढ़ा दिया गया है।
- केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि परसीमन के बाद आरक्षण लागू करने का नरिणय यह सुनिश्चित करना है कि परसीमन आयोग जैसी अर्द्ध-न्यायिक संस्था सार्वजनिक परामर्श के बाद यह तय कर सके कि कौन-सी सीटें आरक्षित करनी हैं।
- कानून मंत्री ने दावा किया कि तुरंत आरक्षण प्रदान करना संवधान के प्रावधानों के खिलाफ है, यह देखते हुए कि कोई इसे अदालत में चुनौती दे सकता है और सरकार इस कानून को किसी तकनीकी वफिलताओं के कारण नष्ट नहीं होने देगी।

परसीमन से संबंधित वर्तमान मुद्दे:

- सामान्यतः अनुमान के मुताबिक, 2011 में हुई पछिली जनगणना के बाद से देश की आबादी करीब 30 फीसदी बढ़ गई है। इसलिये लोकसभा की सीटें भी उसी अनुपात में बढ़ेंगी।
- उम्मीद है कि मौजूदा लोकसभा की 543 सीटों में करीब 210 सीटें बढ़ जाएँगी। यानी कुल सीटें 753 के आस-पास होने की संभावना है।

पछिले परसीमन अभ्यास:


- 2001 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर, 2022 के परसीमन आयोग को इस अभ्यास को पूरा करने में लगभग पाँच वर्ष लग गए थे।
 - चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में किये गए परसीमन अभ्यास में किसी नरिवाचन क्षेत्र में महिलाओं की सटीक संख्या पर विचार नहीं किया गया है।
- 2001 की जनगणना के बाद भी 2002 आयोग द्वारा असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मणिपुर के लिये परसीमन प्रक्रिया को रोक दिया गया था।
- नवगठित केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिये परसीमन की कवायद मार्च 2020 से मई 2022 के बीच दो वर्ष से अधिक समय तक चली।
- असम में इसे चुनाव आयोग द्वारा 2022 में शुरू किया गया था और अंतिम मसौदा अगस्त 2023 में प्रकाशित किया गया था। हालाँकि इस प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।
- जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड का सवाल है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था कि वह दोनों राज्यों के लिये परसीमन आयोग गठित करने पर "विचार" कर रही है, जबकि मणिपुर में परसीमन में देरी होगी।

OBC मुद्दा क्या है?

SC और ST के विपरीत, संवधान लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) के लिये राजनीतिक आरक्षण प्रदान नहीं करता है।

- अधिनियम के साथ OBC मुद्दा: महिला आरक्षण अधिनियम, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% सीटें आरक्षित करता है, में OBC की महिलाओं के लिये कोटा शामिल नहीं है।
 - OBC, जो आबादी का 41% हिस्सा है (2011 की जनगणना के अनुसार) का लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय सरकारों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है।
 - वे SC और ST के लिये आरक्षण की तरह ही लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अपने लिये अलग कोटा की मांग कर रहे हैं।
 - हालाँकि सरकार ने कानूनी और संवैधानिक बाधाओं का हवाला देते हुए ऐसा कोटा लागू नहीं किया है।
 - उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी कई राज्य सरकारों ने उन्हें स्थानीय निकाय चुनावों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया है।
 - लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने समग्र आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी है (विकास कशिनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य) जो OBC आरक्षण को 27% तक सीमित कर देता है।
 - यह 50% ऊपरी सीमा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ फैसले के अनुरूप है।
- लोकसभा में OBC की ताकत: 17वीं लोकसभा में OBC समुदाय से करीब 120 सांसद हैं। जो लोकसभा की कुल ताकत का लगभग 22% है।
 - संवधान (संशोधन) विधायक, 2018 (नए अनुच्छेद 330A व 332A का सम्मेलन) प्रतिनिधि निकायों लोगों के सदन और राज्य की विधान सभाओं में OBC के लिये अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रस्ताव करता है।

Caste profile of 17th Lok Sabha



Source: Lok Sabha

क्या 33% आरक्षण के तहत OBC महिला आरक्षण होना चाहिये?

पक्ष में तर्क

- OBC महिलाओं को उनकी जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर कई प्रकार के भेदभाव व उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय तक पहुँच से वंचित कर दिया जाता है।
- OBC महिलाएँ विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों एवं क्षेत्रों के साथ देश की आबादी का एक बड़ा और विविध वर्ग हैं। उनकी अलग-अलग आवश्यकताएँ और आकांक्षाएँ हैं जिनका अन्य श्रेणियों की महिलाओं द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है।
- OBC महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है व हाशिये पर रखा गया है। उन्हें पतिसत्तात्मक मानदंडों, जातिगत पूर्वाग्रहों, हिसा और धमकी, संसाधनों एवं जागरूकता की कमी व कम आत्मविश्वास जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा है।

वपिक्ष में तर्क

- अधिनियम पहले से ही SC/ST महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, जो समाज में सबसे वंचित और कमजोर समूह हैं।
- OBC महिलाओं के लिये एक और कोटा जोड़ने से सामान्य श्रेणी की महिलाओं हेतु उपलब्ध सीटें कम हो जाएँगी, जिनमें पुरुष-प्रधान राजनीतिक व्यवस्था में भेदभाव एवं चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।
- OBC महिलाओं के लिये पृथक आरक्षण का विचार महिला आंदोलन के बीच और अधिक विभाजन एवं संघर्ष उत्पन्न करेगा। यह सामाजिक परिवर्तन के लिये सामूहिक शक्ति के रूप में महिलाओं की एकजुटता तथा एकता को भी कमजोर करेगा।
- OBC महिलाओं के लिये अलग आरक्षण से उनकी समस्याओं जैसे नरिधनता, अशिक्षा, हिसा, पतिसत्ता, जातिवाद और भ्रष्टाचार के मूल कारणों का समाधान नहीं होगा।
- यह राजनीतिक क्षेत्र में उनकी प्रभावी भागीदारी और प्रतिनिधित्व की गारंटी भी नहीं देगा, क्योंकि उन्हें अभी भी अपने दलों एवं समुदायों के पुरुष नेताओं द्वारा प्रतीकात्मकता, सह-विकल्प, हेरफेर तथा वर्चस्व जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

महिला आरक्षण से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **नचिले सदन में महिलाओं को आरक्षण:** विधायक में संविधान में अनुच्छेद 330A शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 330 के प्रावधानों से लिया गया है। यह लोकसभा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
 - विधायक में प्रावधान किया गया कि महिलाओं के लिये आरक्षित सीटें राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्न नरिवाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं।
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों में, विधायक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिये एक-तहार्ई सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है।
- **राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण:** विधायक अनुच्छेद 332A प्रस्तुत करता है, जो हर राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त SC और ST के लिये आरक्षित सीटों में से एक-तहार्ई महिलाओं के लिये आवंटित की

जानी चाहिये तथा वधियान सभाओं के लिये सीधे मतदान के माध्यम से भरी गई कुल सीटों में से एक-तह्राई भी महिलाओं के लिये आरक्षणित होनी चाहिये।

- **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली में महिलाओं के लिये आरक्षण (239AA में नया खंड):** संवधान का अनुच्छेद 239AA केंद्रशासित प्रदेश दलिली को उसके प्रशासनिक और वधियी कार्य के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के रूप में वशिष दरजा देता है।
 - वधियक द्वारा अनुच्छेद 239AA(2)(b) में तदनुसार संशोधन कया गया और इसमें यह जोड़ा गया क सिंसद द्वारा बनाए गए कानून दलिली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होंगे।
- **आरक्षण की शुरुआत (नया अनुच्छेद- 334A):** इस वधियक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिये सीटें आरक्षणित करने हेतु परसिमन कया जाएगा।
 - आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान कया जाएगा। हालाँकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा नरिधारित तथितिक जारी रहेगा।
- **सीटों का रोटेशन:** महिलाओं के लिये आरक्षणित सीटें प्रत्येक परसिमन के बाद रोटेट की जाएँगी, जैसा क सिंसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा नरिधारित कया जाएगा।

भारत में राजनीति में महिलाओं हेतु आरक्षण की पृष्ठभूमि क्या है?

- राजनीति में महिलाओं के लिये आरक्षण का मुद्दा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय सामने आया। वर्ष 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में तीन महिला नकियाँ, नेताओं- बेगम शाह नवाज़ और सरोजिनी नायडू द्वारा न संवधान में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त रूप से जारी आधिकारिक ज्ञापन प्रस्तुत कये गए थे।
- **महिलाओं के लिये राष्ट्रीय परिरेक्ष्य योजना** में वर्ष 1988 में सफारिश की गई थी क महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद के स्तर तक आरक्षण प्रदान कया जाना चाहिये।
 - इन सफारिशों ने संवधान के 73वें और 74वें संशोधन के ऐतहासिक अधनियमन का मार्ग प्रशस्त कया, जो सभी राज्य सरकारों को क्रमशः पंचायती राज संस्थानों एवं इसके प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष पदों तथा शहरी स्थानीय नकियाँ में महिलाओं हेतु एक-तह्राई सीटें आरक्षणित करने का आदेश देती हैं। इन सीटों में एक-तह्राई सीटें अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षणित हैं।
- महिला आरक्षण वधियक पर चर्चा वर्ष 1996 से ही की जाती रही है। चूँक तत्कालीन सरकार के पास बहुमत नहीं था, इसलिये वधियक को मंजूरी नहीं मिल सकी।
- महिलाओं के लिये सीटें आरक्षणित करने हेतु कये गए प्रयास:
 - **1996:** पहला महिला आरक्षण वधियक संसद में पेश कया गया।
 - **1998-2003:** सरकार ने 4 अवसरों पर वधियक पेश कया लेकिन पारित कराने में असफल रही।
 - **2009:** वभिन्न वशिधों के बीच सरकार ने वधियक पेश कया।
 - **2010:** केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यसभा द्वारा पारित।
 - **2014:** वधियक को लोकसभा में पेश कये जाने की उम्मीद थी।
- **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (National Policy for the Empowerment of Women), 2001** में कहा गया क उच्च वधियी नकियाँ में भी आरक्षण पर वचार कया जाएगा।
- मई 2013 में **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** ने महिलाओं की स्थिति पर वचार करने के लिये एक समिति का गठन कया, जसिने स्थानीय नकियाँ, राज्य वधियानसभाओं, संसद, मंत्रिमंडलीय स्तर और सरकार के सभी नरिणयकारी नकियाँ में महिलाओं के लिये कम से कम 50% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने की अनुशांसा की।
- वर्ष 2015 में **'भारत में महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट' (Report on the Status of Women in India)** में दर्ज कया गया क राज्य वधियानसभाओं और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नरिशाजनक बना हुआ है। इसने भी स्थानीय नकियाँ, राज्य वधियानसभाओं, संसद, मंत्रिमंडलीय स्तर और सरकार के सभी नरिणयकारी नकियाँ में महिलाओं के लिये कम-से-कम 50% सीटें आरक्षणित करने की सफारिश की।

वधियक के पक्ष में प्रमुख तर्क क्या हैं:

- **आवश्यकता:** लोकसभा में 82 महिला सांसद (कुल 15.2%) और राज्यसभा में 31 महिलाएँ (कुल 13%) हैं। जबक पहली लोकसभा (5%) के बाद से यह संख्या काफी बढ़ी है लेकिन कई देशों की तुलना में अभी भी काफी कम है।
 - हाल के संयुक्त राष्ट्र महिला आँकड़ों के अनुसार, **रवांडा (61%), क्यूबा (53%), नकारागुआ (52%)** संसद में महिला प्रतिनिधित्व वाले शीर्ष तीन देश हैं। महिला प्रतिनिधित्व के मामले में बांग्लादेश (21%) और पाकस्तान (20%) भी भारत से आगे हैं।
- **लैंगिक समानता:**
 - राजनीति में महिलाओं का उपयुक्त प्रतिनिधित्व लैंगिक समानता की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। **ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2022** के अनुसार, भारत राजनीतिक सशक्तीकरण के मामले में 146 देशों की सूची में 48वें स्थान पर था।
 - इस रैंक के बावजूद उसका स्कोर 0.267 के अत्यंत नमिन स्तर पर था। इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले कुछ देशों का स्कोर इससे बहुत बेहतर है। उदाहरण के लिये, आइसलैंड 0.874 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा, जबक बांग्लादेश 0.546 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर था।
- **ऐतहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व:**
 - लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली लोकसभा में 5% से बढ़कर **17वीं लोकसभा** में 15% हो गई; लेकिन यह संख्या अभी भी बहुत कम है।
 - पंचायतों में महिलाओं के लिये आरक्षण के प्रभाव के बारे में वर्ष 2003 के एक अध्ययन से पता चला क आरक्षण नीति के तहत नरिवाचित महिलाओं ने स्त्रियों से संबद्ध सार्वजनिक हति या **'पबलिक गुड्स'** में अधिक नविश कया।
 - कार्मिक, लोक शकियात, वधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति (2009) ने पाया क स्थानीय नकियाँ में महिलाओं के लिये सीटों के

आरक्षण ने उन्हें सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाया।

■ **महिलाओं का स्व-प्रतनिधित्व और स्व-नरिणय का अधिकार:**

- यदि किसी समूह को राजनीतिक व्यवस्था में आनुपातिक रूप से प्रतनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तो नीति-निर्माण को प्रभावित करने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है। **महिलाओं के वरिद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)** नरिदष्टि करता है कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिये।
- वभिन्न सरवेक्षणों से पता चलता है कि पिंचायती राज की महिला प्रतनिधियों ने गाँवों में समाज के विकास एवं समग्र कल्याण की दशा में सराहनीय कार्य किये हैं और उनमें से कई नश्चित रूप से वृहत् स्तर पर कार्य करने की इच्छा रखती हैं, लेकिन प्रचलित राजनीतिक संरचना में उन्हें वभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

■ **वविधि परपिरेक्षण:**

- एक अधिक वविधितापूर्ण वधिानमंडल, जसिमें महिलाएँ उल्लेखनीय संख्या में शामिल हों, नरिणय लेने की प्रक्रिया में व्यापक दृष्टिकोण का प्रवेश करा सकता है। यह वविधिता बेहतर नीति निर्माण और शासन की ओर ले जा सकती है।

■ **महिलाओं का सशक्तीकरण:**

- राजनीति में महिला आरक्षण वभिन्न स्तरों पर महिलाओं को सशक्त बनाता है। यह न केवल अधिकाधिक महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करता है बल्कि महिलाओं को अन्य क्षेत्रों में भी नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिये प्रेरित करता है।

■ **महिला संबंधी मुद्दों को बढ़ावा:**

- राजनीति में सक्रिय महिलाएँ प्रायः उन मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं और उनकी वकालत करती हैं जो महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे लगे-आधारित हिसा, महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आर्थिक सशक्तीकरण उनकी उपस्थिति से नीतित वमिर्शाओं में इन मुद्दों को प्राथमिकता प्राप्त हो सकती है।

■ **'रोल मॉडल':**

- राजनीति में सक्रिय महिला नेत्रियाँ बालिकाओं के लिये 'रोल मॉडल' के रूप में कार्य कर सकती हैं, जसिसे उन्हें वभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका की आकांक्षा रखने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है। राजनीति में प्रतनिधित्व रूढविदता को समाप्त कर सकता है और भावी पीढ़ियों को प्रेरित कर सकता है।
- वर्ष 1966 से 1977 तक भारत की पहली एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रही इंदिरा गांधी और भारत की दूसरी महिला वदिश मंत्री (इंदिरा गांधी के बाद) रही सुषमा स्वराज ने देश की बालिकाओं के लिये ऐसे ही 'रोल मॉडल' प्रस्तुत किये।

वधियेक के वपिक्ष में प्रमुख तर्क क्या हैं?

- महिलाएँ जातिसमूह की तरह कोई सजातीय समुदाय नहीं हैं। इसलिये, जाति-आधारित आरक्षण के लिये जो तर्क दिये जाते हैं, वे महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं दिये जा सकते।
- महिलाओं के लिये सीटें आरक्षणित करने का कुछ लोगों द्वारा इस आधार पर वरिध किया जाता है कि **करिसा करना संवधिान में शामिल समता के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन है।** उनका दावा है कि यदि आरक्षण लागू हुआ तो महिलाएँ योग्यता के आधार पर प्रतसिपर्द्धा नहीं कर पाएँगी, जसिसे समाज में उनका स्थिति किमजोर हो सकती है।

महिलाओं का प्रभावी प्रतनिधित्व सुनश्चित करने के लिये और क्या किया जा सकता है?

■ **स्वतंत्र नरिणयन को सुदृढ़ करना:**

- एक स्वतंत्र नरिणयनी प्रणाली या समितियों स्थापति की जानी चाहिये जो पारिवारिक सदस्यों द्वारा महिला प्रतनिधियों की नरिणय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने पर स्पष्ट रूप से रोक लगाएँ।
- **पतिसत्तात्मक मानसिकता के प्रभाव को कम कर इसे प्रवर्तित** किया जा सकता है।

■ **जागरूकता और शिक्षा की वृद्धि:**

- महिलाओं में उनके अधिकारों और राजनीति में उनकी भागीदारी के महत्त्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना आवश्यक है। शैक्षिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं।

■ **लगे आधारित हिसा और उत्पीड़न को संबोधित करना:**

- **लगे-आधारित हिसा** और उत्पीड़न राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की राह की बड़ी बाधाएँ हैं। नीतित एवं वधिकि उपायों के माध्यम से इन मुद्दों को संबोधित करने से राजनीति में महिलाओं के लिये एक सुरक्षित और अधिक सहयोगी वातावरण तैयार हो सकता है।

■ **चुनावी प्रक्रिया में सुधार:**

- **आनुपातिक प्रतनिधित्व** और अधिमिन्य मतदान प्रणाली शुरू करने जैसे सुधारों के माध्यम से अधिकाधिक महिलाओं का नरिवाचन सुनश्चित होगा, जसिसे राजनीति में महिलाओं का प्रतनिधित्व बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।
- ये भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के कुछ उपाय मात्र हैं। दीर्घकालिक परिवर्तन को प्रभावी करने के लिये एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है जो वविधि चुनौतियों को हल कर सके।

सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. परसिमीन आयोग के संदर्भ में नमिन्लखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2012)

1. परसिमीन आयोग के आदेशों को कसिी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।
2. परसिमीन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य वधिानसभा के सममुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं कयिा जा सकता ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/women-reservation-act,-2023-women-in-politics>

